प्रकाशन हेतु अनुमोदित

**छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय : बिलासपुर**

**( माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रीतिंकर दिवाकर )**

**दाण्डिक अपील क्रमांक 303 / 2011**

**अपीलार्थी** सिद्ध गोपाल नरेड़ी व अन्य

विरूद्ध

**प्रत्यर्थी** छत्तीसगढ़ राज्य

निर्णय की उद्घोषणा हेतु दिनांक 01.12.2012 को सूचीबद्ध करें

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**हस्ता./-**

**प्रीतिंकर दिवाकर**

**न्यायाधीश**

**छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालयः बिलासपुर**

**( माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रीतिंकर दिवाकर )**

**दाण्डिक अपील क्रमांक 303 / 2011**

**अपीलार्थी** सिद्ध गोपाल नरेड़ी व अन्य

विरूद्ध

**प्रत्यर्थी** छत्तीसगढ़ राज्य

श्री विवेक शर्मा, अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता

श्री प्रवीण दास, प्रत्यर्थी/राज्य की ओर से उप शासकीय अधिवक्ता

**दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 के अंतर्गत दाण्डिक अपील**

**निर्णय**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

( दिनांक 01.12.2012 )

यह अपील अपर सत्र न्यायाधीश (श्रृंखला न्यायालय) डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव द्वारा सत्र प्रकरण क्र. 09/2010 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 4.4.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (ख) के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया था और उनमें से प्रत्येक को सात वर्ष के सश्रम कारावास और 1000/- रुपये के जुर्माने का दण्डादेश दिया गया था, तथा जुर्माना का व्यतिक्रम किए जाने की स्थिति में तीन माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास का दण्डादेश भुगतना होगा।

2. इस मामले में मृतका का नाम कीर्ति है और अभियुक्त/अपीलार्थी क्र. 1 सिद्ध गोपाल नरेड़ी उसके ससुर हैं, जबकि अभियुक्त/अपीलार्थी क्र. 2 से 4 क्रमशः सोनू उर्फ आतिश, विक्की उर्फ आशीष और श्रीमती राजकुमारी नरेड़ी उसके पति, देवर और सास हैं। मृतका का विवाह अभियुक्त/अपीलार्थी क्र. 2 सोनू उर्फ आतिश के साथ दिनांक 16.2.2010 को डोंगरगढ़ में संपन्न हुआ था और दिनांक 24.6.2010 को जलने से हुई चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई। मर्ग सूचना प्रदर्श पी.-10 उसी दिन अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण के पड़ोसी द्वारा दी गई थी। दिनांक 24.6.2010 को ही विनोद अग्रवाल (अ.सा.-11), जो मृतका के चाचा थे, द्वारा लिखित शिकायत

प्रदर्श पी.-8 दर्ज कराई गई थी और उसके आधार पर उसी दिन अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 304-ख/34 के तहत अपराध के लिए प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्श पी.-12 पंजीकृत की गई थी। मृतका के शव का परीक्षण दिनांक 24.6.2010 को प्रदर्श पी.-9 के माध्यम से किया गया था, जिसमें चिकित्सक की राय के अनुसार मृत्यु का कारण श्वासावरोध के कारण होने वाला सदमा था, जबकि मृत्यु की प्रकृति के संबंध में उनके द्वारा कोई राय व्यक्त नहीं की गई थी। अन्वेषण के पश्चात, पुलिस द्वारा दिनांक 14.7.2010 को भारतीय दंड संहिता की धारा 304-ख/34 के तहत अभियोग पत्र दाखिल किया गया। हालांकि, अधीनस्थ न्यायालय ने अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण के विरुद्ध धारा 302/34 और 304-ख के तहत आरोप विरचित किए।

3. अपने मामले के समर्थन में अभियोजन पक्ष ने 15 साक्षियों का परीक्षण कराया है। अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण के कथन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत भी अभिलिखित किए गए थे, जिसमें उन्होंने स्वयं को निर्दोष बताया और मामले में मिथ्या फंसाए जाने का अभिवाक् किया। इसके अतिरिक्त, बचाव पक्ष द्वारा अपने मामले के समर्थन में बी. एक्का (ब.सा.-1) का भी परीक्षण कराया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. पक्षकारों को सुनने के पश्चात, अधीनस्थ न्यायालय ने अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण को निर्णय के कंडिका क्र. 1 में उल्लेखित अनुसार दोषसिद्ध एवं दण्डादिष्ट किया।

5. अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि मृतका द्वारा आत्महत्या करने का मुख्य कारण यह था कि उसका पति (अपीलार्थी क्र. 2) उससे कम शिक्षित था, क्योंकि पति केवल 12वीं तक शिक्षित था जबकि वह स्वयं स्नातकोत्तर थी। द्वितीयतः, अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण के अधिवक्ता के अनुसार, मृतका अपने ससुराल घर में खुश नहीं थी क्योंकि उसका पति (अपीलार्थी क्र. 2) परिवहन का व्यवसाय करता था और उसे यह महसूस होता था कि वह एक मजदुर (हम्माल) के रूप में कार्य कर रहा है। उनका आगे यह तर्क है कि मृतका को अपने पति के प्रति यह शिकायत थी कि अपने काम के सिलसिले में वह पूरे दिन बाहर रहता था और देर रात घर लौटता था। उनका तर्क है कि सभी साक्षियों ने स्पष्ट रूप से कथन किया है कि विवाह के समय किसी भी दहेज की मांग नहीं की गई थी और न ही कोई दहेज तय किया गया था, विवाह के सभी खर्च मृतका के माता-पिता द्वारा वहन किए गए थे और विवाह अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण द्वारा मृतका को देखने और पसंद करने के बाद ही संपन्न हुआ था। उन्होंने यह भी तर्क किया है कि दंड प्रक्रिया

संहिता की धारा 161 के तहत दर्ज कथनों में किसी भी साक्षी ने यह कथन नहीं किया है कि अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण द्वारा किसी दहेज की मांग की गई थी। उनके अनुसार, कुछ साक्षियों ने केवल यह कहा है कि उनके द्वारा 5 लाख रुपये की मांग की गई थी। उनका यह भी तर्क है कि, प्रथमतः ऐसी कोई मांग नहीं की गई थी क्योंकि मृतका के परिवार के सदस्यों में उसे पूरा करने की क्षमता नहीं थी और यदि उनके द्वारा कुछ धन की मांग की भी गई थी, तो अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा है कि यह दहेज के रूप में मांगा गया था। उनका आगे यह कहना है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 304-ख और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 2 के तहत दी गई दहेज की परिभाषा के अनुसार, यह विशिष्ट आरोप होना चाहिए कि किसी व्यक्ति द्वारा की गई मांग विवाह के संबंध में थी और दहेज के रूप में मांगी गई थी, और जब तक अभियोजन पक्ष द्वारा इस तथ्य को सिद्ध नहीं किया जाता, तब तक भारतीय दंड संहिता की धारा 304-ख के तहत अपराध नहीं बनता है। उनका तर्क है कि न्यायालय में साक्ष्य देते समय सभी महत्वपूर्ण साक्षियों, अर्थात् वंदना अग्रवाल (अ.सा.-4), ममता अग्रवाल (अ.सा.-5), आरती अग्रवाल (अ.सा.-6), सुरेश कुमार (अ.सा.-7) और विनोद कुमार (अ.सा.-11) ने अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण के विरुद्ध दहेज की मांग और उसके परिणामस्वरूप की गई क्रूरता का आरोप लगाया है। उन्होंने इस न्यायालय का ध्यान प्रकाश अग्रवाल (अ.सा.-13) के कथन की ओर आकर्षित किया, जहाँ उन्होंने कहा है कि मृतका के शव परीक्षण के समय विनोद अग्रवाल- मृतका के चाचा और मृतका के पिता के बीच विवाद हुआ था, क्योंकि विनोद अग्रवाल अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराने के इच्छुक थे, जबकि मृतका के पिता की राय थी कि अभियुक्त अच्छे व्यक्ति हैं और इसलिए उनके विरुद्ध मिथ्या शिकायत दर्ज नहीं कराई जानी चाहिए। प्रकाश अग्रवाल (अ.सा.-13) के कथन का अवलंब लेते हुए अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण के अधिवक्ता का तर्क है कि मृतका का अंतिम संस्कार उसके देवर विजय उर्फ आशीष (अपीलार्थी क्र. 3) द्वारा किया गया था, क्योंकि उनके समुदाय में प्रचलित प्रथा के अनुसार देवर को पुत्र के समान माना जाता था। उनका तर्क है कि मृतका की जान बचाते समय अभियुक्त/अपीलार्थी क्र. 2, अर्थात् सोनू उर्फ आतिश ने आग बुझाने का प्रयास किया था और ऐसा करते समय वह स्वयं भी झुलस गया था, जिसे डॉ. बी. एक्का (ब.सा.-1) द्वारा सिद्ध किया गया है। उनका तर्क है कि विवाह के पश्चात मृतका विभिन्न स्थानों पर गई थी, लेकिन उसने अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं की थी और यदि क्रूरता के साथ दहेज की कोई मांग की गई होती, तो उसने निश्चित रूप से अपने रिश्तेदारों को इसके बारे में सूचित किया होता। उनका तर्क है कि घटना से पहले मृतका द्वारा उसके साथ किए गए उत्पीड़न या क्रूरता के संबंध में

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

कभी कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई थी। मृत्यु समीक्षा प्रदर्श पी.-2 का संदर्भ लेते हुए अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण के अधिवक्ता का कहना है कि मृत्यु के समय मृतका ने सोने के सभी आभूषण पहने हुए थे, अतः साक्षीगण का यह आरोप कि उसके आभूषण अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण द्वारा छीन लिए गए थे, सही नहीं है। इस तथ्य की पुष्टि के लिए अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने पी.आर. निर्मल (अ.सा.-2) के साक्ष्य का अवलंब लिया है। अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण के अधिवक्ता के अनुसार, अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण द्वारा की गई दहेज की कथित मांग को साबित करने के भार का निर्वहन करने में विफल रहा है और इसलिए साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-ख के तहत उपधारणा लागू नहीं होती है। उनके अनुसार, आजकल यह एक प्रचलन बन गया है कि बहू की मृत्यु के बाद उसके माता-पिता या रिश्तेदारों द्वारा ससुराल के सभी सदस्यों को फंसा दिया जाता है। उनका तर्क है कि अभियोजन पक्ष ने जानबूझकर मृतका के पिता का परीक्षण नहीं करवाया है, क्योंकि प्रकाश अग्रवाल (अ.सा.-13) के अनुसार वह अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण को मिथ्या फंसाने के इच्छुक नहीं थे और इस महत्वपूर्ण साक्षी का परीक्षण ना कराना अभियोजन के मामले के लिए घातक है। अपने तर्कों के समर्थन में, अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित प्रकरणों के निर्णयों का अवलंब लिया है: **सुनील बजाज वि. मध्य प्रदेश राज्य (2001) 9 एससीसी 417, दुर्गा प्रसाद और अन्य वि. मध्य प्रदेश राज्य (2010) 9 एससीसी 73, संजीव कुमार वि. पंजाब राज्य (2009) 16 एससीसी 487, गुरुचरण कुमार और अन्य वि. राजस्थान राज्य (2003) 2 एससीसी 698, बिस्वजीत हलदर (2008) 1 एसीसी 202, अप्पासाहेब और अन्य वि. महाराष्ट्र राज्य (2007) 9 एससीसी 721** और **जावेद मसूद और अन्य वि. राजस्थान राज्य एआईआर 2010 एससी 979।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी/राज्य के अधिवक्ता ने निर्णय का समर्थन करते हुए तर्क किया है कि विवाह के चार महीने के भीतर ही मृतका ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, जो यह दर्शित करता है कि उसे अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण द्वारा क्रूरता और उत्पीड़न का शिकार बनाया गया था, अन्यथा एक नवविवाहिता के ऐसा करने का कोई कारण नहीं था। उनका तर्क है कि न्यायालय में सभी साक्षीगण ने कथन किया है कि मृतका को क्रूरता का सामना करना पड़ा था और यदि उन्होंने अपने केस डायरी के कथनों में ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया है, तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। उनका आगे यह तर्क है कि वंदना अग्रवाल (अ.सा.-4), ममता अग्रवाल (अ.सा.-5), आरती अग्रवाल

(अ.सा.-6), सुरेश कुमार (अ.सा.-7) और विनोद कुमार (अ.सा.-11) ने स्पष्ट रूप से उस तरीके के बारे में बताया है जिसमें मृतका से 5,00,000/- रुपये की मांग की गई थी।

7. पक्षकारों के अधिवक्ताओं को सुना गया और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन किया गया।

8. पं. त्रिलोक प्रसाद दुबे (अ.सा.-1) - जो अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण के पड़ोसी हैं, वे मृत्यु समीक्षा सूचना प्रदर्श पी.-1 और मृत्यु समीक्षा प्रदर्श पी.-2 के साक्षी हैं, जिन्होंने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है और उन्हें पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया है। पी.आर. निर्मल (अ.सा.-2) तहसीलदार हैं जिन्होंने प्रदर्श पी.-2 के माध्यम से मृत्यु समीक्षा की कार्रवाई की थी, उन्होंने कथन किया है कि मृत्यु समीक्षा के समय मृतका ने सोने का मंगलसूत्र, सोने की नथ, अंगूठी और कान के टॉप्स पहने हुए थे। इस साक्षी के अनुसार, मृत्यु समीक्षा के समय मृतका के परिवार के सदस्यों द्वारा 5,00,000/- रुपये की मांग या उसके प्रति की गई क्रूरता के संबंध में कोई शिकायत नहीं की गई थी। लालचंद खोत्रागढ़े (अ.सा.-3) राजस्व निरीक्षक हैं जिन्होंने घटना स्थल का मानचित्र प्रदर्श पी.-6 तैयार किया था। वंदना अग्रवाल (अ.सा.-4)-जो मृतका की माँ हैं, ने कथन किया है कि उनकी बेटी (मृतका) का विवाह अभियुक्त/अपीलार्थी क्र. 2 सोनू उर्फ आतिश के साथ दिनांक 16.2.2010 को संपन्न हुआ था। वह 8-10 दिनों तक अपने ससुराल में ठीक से रही और उसके बाद अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण द्वारा दहेज के रूप में 5,00,000/- रुपये की मांग को लेकर उसके साथ क्रूरता की गई। यह भी कहा गया है कि अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण ने मृतका द्वारा पहने गए सभी आभूषण छीन लिए थे और वे उसे यह कहकर प्रताड़ित करते थे कि यदि उसने अपने माता-पिता के घर से धन नहीं मंगवाई तो वे उसे मार डालेंगे। वे उसे यह कहकर भी धमकाते थे कि यदि उसने उनकी बात नहीं मानी तो उसे उसके मायके छोड़ दिया जाएगा। इस साक्षी ने आगे कथन किया है कि जब उसने स्थिति का जायजा लेने के लिए अपने देवर विनोद अग्रवाल और उनकी पत्नी ममता अग्रवाल को अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण के घर भेजा, तो उनसे भी उन्होंने (अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण ने) 5,00,000/- रुपये की मांग की और उनसे कहा कि वे मृतका को मार डालेंगे या उसे छोड़ देंगे। इसके पश्चात, उन्हें अपनी बेटी का फोन आया जिसमें उसने पूछा कि उसे ससुराल से वापस ले जाने के लिए कौन आ रहा है। इस साक्षी के अनुसार, मृतका सुंदर थी और उसने राजनीति विज्ञान में एम.ए. किया था। उन्होंने यह स्वीकार किया है कि मृतका का विवाह डोंगरगढ़ में

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हुआ था और विवाह के समय अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण द्वारा किसी दहेज की मांग नहीं की गई थी और न ही कोई दहेज तय किया गया था। उन्होंने आगे स्वीकार किया कि मृतका को देखने के बाद, अभियुक्त/अपीलार्थी उसके विवाह के लिए सहमत हो गए थे और विवाह सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ था। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि अभियुक्त/अपीलार्थी क्र. 2 के साथ मृतका का विवाह डोंगरगढ़ निवासी मध्यस्थ लक्ष्मी नारायण अग्रवाल के माध्यम से हुआ था। उन्होंने आगे स्वीकार किया कि विवाह के बाद 2-3 अवसरों पर मृतका अपने घर आई थी और होली के त्योहार के समय मृतका के पति (अपीलार्थी क्र. 2) ने भी उसके घर का दौरा किया था। इस साक्षी के अनुसार, मृतका का पति होली के त्योहार के समय, मृतका के पति (अभियुक्त/अपीलार्थी क्र. 2) ने भी उसके घर का आया था। इस साक्षी के अनुसार, मृतका के पति के पास चार वाहन थे और वह परिवहन (ट्रांसपोर्ट) का व्यवसाय करता था। अपने व्यवसाय के लिए, वह सुबह जल्दी घर से निकल जाता था और देर रात वापस लौटता था। उन्होंने आगे इस तथ्य को स्वीकार किया है कि मृतका की मृत्यु से पहले अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण के विरुद्ध न तो कोई शिकायत दर्ज कराई गई थी और न ही कोई *पंचायत* बैठक बुलाई गई थी। उनके अनुसार, विवाह से पहले भी मृतका अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण के घर में दो दिनों तक रही थी। उन्होंने कहा है कि दहेज और उसके परिणामस्वरूप हुई क्रूरता के तथ्य का खुलासा पुलिस के सामने किया गया था, लेकिन यदि वही तथ्य उनकी केस डायरी के कथन में दर्ज नहीं है, तो वह इसका कारण नहीं बता सकतीं। अपने केस डायरी कथन प्रदर्श डी-1 से सामना कराए जाने पर, इस साक्षी ने कथन किया कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि पुलिस ने वे सभी बातें दर्ज क्यों नहीं कीं जो उन्होंने न्यायालय में बताई थीं। कंडिका क्र. 9 में इस साक्षी ने कथन किया है कि उनकी बेटी स्नातकोत्तर थी जबकि अभियुक्त/अपीलार्थी क्र. 2 ने केवल 12वीं कक्षा तक पढ़ाई की थी। ममता अग्रवाल (अ.सा.-5) - जो मृतका की चाची हैं, ने लगभग वैसा ही कथन दिया है जैसा वंदना अग्रवाल (अ.सा.-4) ने दिया था। उन्होंने कहा है कि हालांकि वह सेल फोन पर मृतका से बात करती थीं, लेकिन वह न तो अपना फोन नंबर बता सकीं और न ही मृतका का। फिर उन्होंने कहा कि उनके पास न तो सेल फोन नंबर था और न ही लैंडलाइन नंबर। इस साक्षी के अनुसार, वह उन फोन कॉल्स के किए जाने का समय और तारीख नहीं बता सकीं। उन्होंने कथन किया है कि मृतका का विवाह तय होने के समय, उनके परिवार के सदस्यों की वित्तीय स्थिति का खुलासा अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण के सामने कर दिया गया था और यह स्पष्ट कर दिया गया था कि वे कुछ भी देने की स्थिति में नहीं थे और अभियुक्त/अपीलार्थी मृतका को देखने के बाद विवाह के लिए सहमत हुए थे, जो कि डोंगरगढ़ में संपन्न हुआ था। अपने केस डायरी कथन प्रदर्श डी-2 से सामना कराए जाने पर, इस साक्षी ने कहा कि

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उन्होंने पुलिस को सभी बातें बताई थीं, लेकिन वे उसमें क्यों नहीं लिखी गई हैं, इसका कारण वह नहीं बता सकतीं। आरती अग्रवाल (अ.सा.-6) - जो मृतका की बहन हैं, ने भी लगभग वैसा ही कथन दिया है जैसा वंदना अग्रवाल (अ.सा.-4) और ममता अग्रवाल (अ.सा.-5) ने दिया था। उन्होंने कथन किया है कि वह फोन पर अपनी बहन (मृतका) से बात किया करती थी, जिसने उन्हें उस तरीके के बारे में बताया था जिससे अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण द्वारा उसे प्रताड़ित किया जाता था। उन्होंने बताया कि चूंकि मृतका की सास ने उसे उस तरीके के बारे में बताया जिससे अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण द्वारा उसे प्रताड़ित किया जाता था। उन्होंने बताया कि चूंकि मृतका की सास घर पर नहीं थी और वह (मृतका) अकेलापन महसूस कर रही थी, इसलिए अप्रैल के महीने में वह 15-20 दिनों तक अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण के घर में रही, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि इस अवधि के दौरान मृतका को उनके द्वारा दहेज की मांग के लिए प्रताड़ित किया गया या उसके साथ क्रूरता की गई। इस साक्षी ने कथन की है कि अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण द्वारा 5,00,000/- रुपये की मांग कब की गई थी, वह यह नहीं बता सकतीं। सुरेश कुमार (अ.सा.-7) - जो रिश्ते में मृतका के चाचा हैं, ने भी लगभग वैसा ही कथन दिया है जैसा वंदना अग्रवाल (अ.सा.-4), ममता अग्रवाल (अ.सा.-5) और आरती अग्रवाल (अ.सा.-6) ने दिया था। हालांकि, उन्होंने यह स्वीकार किया है कि विवाह ठीक से संपन्न हुआ था और किसी के द्वारा दहेज की कोई मांग नहीं की गई थी। उन्होंने कहा है कि केस डायरी कथन प्रदर्श डी-4 दर्ज करते समय, उन्होंने अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण के विरुद्ध सभी आरोप लगाए थे, लेकिन यदि वे उसमें उल्लिखित नहीं हैं, तो वह कुछ नहीं कह सकते। दौलत अग्रवाल (अ.सा.-8) मृत्यु समीक्षा प्रदर्श पी.-2 और प्रदर्श पी.-7 के तहत की गई जब्ती के साक्षी हैं, जिन्होंने कुछ भी विशिष्ट रुप से नहीं बताया है। ओम प्रकाश अग्रवाल (अ.सा.-9) - जो मृतका के रिश्तेदार हैं, ने कथन किया है कि जब वे मृतका की माँ से मिले, तो उन्होंने उन्हें सूचित किया कि अभियुक्त/अपीलार्थी मृतका को प्रताड़ित करते थे। उन्होंने स्वीकार किया है कि विवाह के समय दहेज की कोई मांग नहीं की गई थी। उन्होंने कहा है कि केस डायरी कथन प्रदर्श डी.-5 दर्ज करते समय, उन्होंने अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण के विरुद्ध सभी आरोप लगाए थे, लेकिन यदि वे उसमें उल्लिखित नहीं हैं, तो वह कुछ नहीं कह सकते। सीताराम (अ.सा.-10)- जो जब्ती के साक्षी हैं, उन्होंने कुछ भी विशिष्ट रुप से नहीं बताया है। विनोद कुमार (अ.सा.-11)- जो मृतका के चाचा हैं और जिन्होंने लिखित शिकायत दर्ज कराए थे, ने लगभग वैसे ही आरोप लगाए हैं जैसे वंदना अग्रवाल (अ.सा.-4), ममता अग्रवाल (अ.सा.-5) और आरती अग्रवाल (अ.सा.-6) द्वारा लगाए गए थे। उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि विवाह तय होने के समय कोई दहेज तय नहीं किया गया था और मामले को लड़ने

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

के लिए उन्होंने अधिवक्ता से संपर्क किया था और न्यायालय में कथन देने से पहले उन्होंने अपना केस डायरी कथन पढ़ा था। उन्होंने कथन किया है कि मृतका का विवाह डोंगरगढ़ के लक्ष्मी नारायण अग्रवाल की मध्यस्थता के बाद संपन्न हुआ था। डॉ. वी.के. चंद्रवंशी (अ.सा.-12) वह साक्षी हैं जिन्होंने मृतका का शव परीक्षण किया था और बताया कि मृत्यु का कारण श्वासावरोध के कारण होने वाला सदमा था। प्रकाश अग्रवाल (अ.सा.-13)- एक स्वतंत्र साक्षी, जिन्होंने मर्ग सूचना प्रदर्श पी.-10 दर्ज कराई थी, ने कथन किया है कि वे घटना स्थल पर कैसे पहुंचे और मृतका के शव को देखा। उन्होंने कथन किया है कि अपीलार्थीगण दरवाजा खोलने और आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने यह भी बताया कि आग बुझाते समय अभियुक्त/अपीलार्थी क्र. 2 को भी जलने से क्षति कारित हुई थी। इस साक्षी के अनुसार, मृतका उसके घर आया करती थी और अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण द्वारा उसे अच्छी तरह रखा जा रहा था। इस साक्षी ने आगे कहा है कि उसने मृतका और अभियुक्तगण के बीच कभी कोई विवाद नहीं देखा। मृतका उसे बताया करती थी कि अभियुक्त/अपीलार्थी क्र. 2 कम शिक्षित था और वह ड्राइवर के रूप में काम करता था तथा रात में देर से घर लौटता था, जिससे वह नाखुश थी। उसके अनुसार, उसकी पत्नी मृतका को यह कहकर सांत्वना देती थी कि अभियुक्त/अपीलार्थी क्र. 2 द्वारा जो कार्य हाथ में लिया गया है, वह उसे करना ही होगा। मृतका ने उसे यह भी सूचित किया था कि उसने कड़ी मेहनत के बाद पढ़ाई की थी लेकिन उसकी शिक्षा व्यर्थ चली गई। कंडिका क्र. 4 में इस साक्षी ने कथन किया है कि मृतका का विवाह अभियुक्त/अपीलार्थी क्र. 2 के साथ डोंगरगढ़ में संपन्न हुआ था और सभी खर्च अभियुक्त/अपीलार्थी क्र. 1 द्वारा वहन किए गए थे। कंडिका क्र. 5 में उसने कहा है कि मृतका ने कभी दहेज या क्रूरता की कोई शिकायत नहीं की और उसे बुरा लगता था क्योंकि उसका पति *हम्माल* के रूप में काम करता था और इस कारण वह उदास रहती थी। उसने बताया कि घटना के तुरंत बाद मृतका के परिवार के सदस्य वहां पहुंच गए थे और हालांकि थाना प्रभारी और तहसीलदार वहां उपस्थित थे, फिर भी उन्होंने उनसे कोई शिकायत नहीं की। इस साक्षी के अनुसार, जब मृतका के शव को परीक्षण के लिए ले जाया गया, तो मृतका के चाचा और पिता के बीच विवाद हुआ था क्योंकि उसके चाचा अभियुक्तगण के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराने के इच्छुक थे, जबकि पिता इसमें रुचि नहीं रखते थे क्योंकि उनके अनुसार वे (अभियुक्तगण) बहुत अच्छे लोग थे और उनके विरुद्ध कोई झूठी शिकायत दर्ज नहीं कराना चाहते थे। इस साक्षी ने आगे बताया कि मृतका का अंतिम संस्कार उसके देवर (अपीलार्थी क्र. 3) द्वारा किया गया था क्योंकि उनके समाज में प्रचलित प्रथा के अनुसार अंतिम संस्कार के उद्देश्य के लिए देवर को पुत्र के समान माना जाता है। राजेंद्र प्रसाद (अ.सा.-14) अन्वेषण अधिकारी हैं जिन्होंने अभियोजन पक्ष के मामले का

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विधिवत समर्थन किया है। विश्वास चंद्राकर (अ.सा.-15) वह साक्षी है जिसने अन्वेषण का कुछ हिस्सा पूरा किया था।

9. पक्षकारों के अधिवक्ताओं को सुना गया और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन किया गया।

10. भारतीय दंड संहिता की धारा 304-ख निम्नानुसार है:

> **दहेज मृत्यु -** (1) जहाँ किसी स्त्री की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक क्षति द्वारा कारित की जाती है या विवाह के सात वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हो जाती है और यह दर्शित किया जाता है कि उसकी मृत्यु के कुछ समय पूर्व उसके पति या उसके पति के किसी नातेदार ने, दहेज की किसी मांग के लिए, या उसके संबंध में, उसके साथ क्रूरता की थी या उसे तंग किया था, वहाँ ऐसी मृत्यु को "दहेज मृत्यु" कहा जाएगा और ऐसा पति या नातेदार उसकी मृत्यु कारित करने वाला समझा जाएगा।
>
> **स्पष्टीकरण** – इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए "दहेज" का वही अर्थ है जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (1961 का 28) की धारा 2 में है।“

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

भारतीय दंड संहिता की धारा 304-ख के तहत किसी अभियुक्त को दोषसिद्ध करने के लिए निम्नलिखित आवश्यक तत्वों की संतुष्टि होना अनिवार्य है:

(i) किसी महिला की मृत्यु दाह या शारीरिक चोट के कारण हुई हो या सामान्य परिस्थितियों से भिन्न परिस्थितियों में हुई हो;

(ii) ऐसी मृत्यु उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर हुई हो;

(iii) उसकी मृत्यु के कुछ समय पूर्व, महिला के साथ उसके पति या पति के रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता या उत्पीड़न किया गया हो;

(iv) ऐसी क्रूरता या उत्पीड़न दहेज की मांग के लिए या उसके संबंध में होना चाहिए।

जब उपरोक्त घटक स्वीकार्य साक्ष्यों द्वारा स्थापित हो जाते हैं, तभी ऐसी मृत्यु को "दहेज मृत्यु" कहा जाएगा और ऐसे पति या उसके रिश्तेदार को उसकी मृत्यु कारित करने वाला माना जाएगा।

11. यदि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304-ख की उपरोक्त परिभाषा और घटकों के आलोक में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का विवेचन किया जाए, तो पहले दो बिंदु अभियोजन द्वारा विधिवत स्थापित कर लिए गए हैं। जहाँ तक शेष दो बिंदुओं का प्रश्न है, इस बात का कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है कि मृतका के साथ की गई क्रूरता या उत्पीड़न दहेज की मांग के लिए या उसके संबंध में था। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत दर्ज कथनों में किसी भी साक्षी ने यह कथन नहीं दिया है कि अभियुक्तगण द्वारा दहेज की कोई मांग की गई थी। कुछ साक्ष्यों ने केवल यह कहा है कि 5,00,000/- रुपये की मांग की गई थी, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि यह दहेज के संबंध में थी। हालांकि, न्यायालय में साक्ष्य देते समय साक्षीगण, अर्थात् वंदना अग्रवाल (अ.सा.-4), ममता अग्रवाल (अ.सा.-5), आरती अग्रवाल (अ.सा.-6), सुरेश कुमार (अ.सा.-7) और विनोद कुमार (अ.सा.-11) ने अपने कथन में सुधार किया है और कथन किया है कि मृतका को 5,00,000/- रुपये या किसी दहेज की मांग के लिए क्रूरता का शिकार बनाया गया था। यह न्यायालय साक्षीगण द्वारा न्यायालय में दिए गए ऐसे अतिरंजित और सुधारित कथनों पर विश्वास करना कठिन पाता है क्योंकि उन्होंने केस डायरी कथन में या मृत्यु समीक्षा के समय ऐसी किसी बात का उल्लेख नहीं किया था। इसके अलावा न्यायालय में साक्षियों द्वारा दिए गए ऐसे अतिरंजित और सुधारित कथनों पर विश्वास करना कठिन है क्योंकि उन्होंने केस डायरी कथन में या मृत्यु समीक्षा के समय ऐसी किसी बात का उल्लेख नहीं किया था। इसके अलावा, साक्षियों ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि केवल लड़की को देखने के बाद ही अभियुक्त/अपीलार्थी विवाह के लिए सहमत हुए थे, जो डोंगरगढ़ में संपन्न हुआ था। उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि विवाह के समय कोई दहेज तय नहीं किया गया था और न ही अभियुक्तगण द्वारा उसकी मांग की गई थी। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि स्वतंत्र साक्षी प्रकाश अग्रवाल (अ.सा.-13), जो सबसे पहले घटना स्थल पर पहुँचे थे और जिन्होंने मृतका के पति के साथ आग बुझाने का प्रयास किया था, ने कथन किया है कि मृतका उनके घर आया करती थी और अभियुक्त उसे अच्छी तरह रखते थे तथा उन्होंने उनके बीच कभी कोई विवाद नहीं देखा। उन्होंने बताया कि मृतका अपनी माँ या पति के साथ सामाजिक कार्यक्रमों में भी जाया करती थी और उसने कभी भी उनसे अभियुक्तगण द्वारा दहेज की मांग या उसके परिणामस्वरूप की गई क्रूरता के बारे में कोई शिकायत नहीं की। उन्होंने आगे बताया कि जब भी मृतका उनके घर आती थी, वह शिकायत करती थी कि उसका पति उससे कम शिक्षित है और उसका काम ड्राइवर जैसा है तथा वह रात में देर से घर लौटता है, जिससे वह खुश नहीं थी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मृतका उनके घर पर बताती थी कि वह अधिक शिक्षित थी लेकिन उसका विवाह एक कम शिक्षित व्यक्ति से हो गया है और इस कारण वह कड़ी मेहनत से प्राप्त अपनी उच्च शिक्षा का उपयोग नहीं कर पा रही थी। उन्होंने आगे

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बताया कि जब मृतका के शव को परीक्षण के लिए ले जाया गया, तो मृतका के पिता और चाचा के बीच विवाद हुआ था, जहाँ चाचा अभियुक्तगण के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराने के इच्छुक थे, लेकिन पिता इसमें रुचि नहीं रखते थे क्योंकि उनके अनुसार अभियुक्त बहुत अच्छे लोग थे और उन्हें झूठे मामले में नहीं फंसाया जाना चाहिए था।

अभियोजन पक्ष द्वारा इस स्वतंत्र साक्षी को पक्षद्रोही घोषित नहीं किया गया है, इसलिए उसका साक्ष्य अभियोजन पक्ष पर बाध्यकारी है और अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण निश्चित रूप से उसके कथन पर भरोसा कर सकते हैं। विधि में ऐसा कुछ भी नहीं है जो बचाव पक्ष को अभियोजन पक्ष के उस साक्ष्य पर भरोसा करने से रोकता हो जो बचाव का समर्थन करता है। मृतका के रिश्तेदारों के अनुसार, अभियुक्तगण ने मृतका द्वारा पहने गए सभी आभूषण छीन लिए थे, जबकि पी.आर. निर्मल (अ.सा.-2), जिन्होंने मृत्यु समीक्षा की थी, के अनुसार मृतका ने सोने का मंगलसूत्र, अंगूठी, सोने की नथ और कान के टॉप्स पहने हुए थे। यहाँ भी, रिश्तेदारों का कथन संदिग्ध हो जाता है। इस साक्षी ने आगे स्वीकार किया कि मृत्यु समीक्षा के समय मृतका के परिवार के सदस्यों द्वारा दहेज की मांग या उसके प्रति की गई क्रूरता के संबंध में कोई शिकायत नहीं की गई थी। अभिलेख पर विद्यमान साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष यह युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है कि अभियुक्तगण द्वारा दहेज की कोई मांग की गई थी और मृतका को उसके लिए क्रूरता का सामना करना पड़ा था। केवल न्यायालय में साक्षियों द्वारा दिए गए सुधारित कथनों के आधार पर, यह न्यायालय अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण को दोषसिद्ध करना कठिन पाता है। सभी साक्षियों ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि विवाह के समय कोई दहेज तय नहीं किया गया था और न ही मांगा गया था। मृतका की माँ, चाचा, बहन और अन्य रिश्तेदारों के निराधार कथनों के अलावा, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जो यह दर्शित कर सके कि मृत्यु से पूर्व उसे दहेज की मांग के लिए क्रूरता या उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था। यह स्थापित विधिक सिद्धांत है कि जहाँ अभियोजन को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना होता है, वहीं अभियुक्त के बचाव का परीक्षण संभावनाओं की प्रधानता के आधार पर किया जाना चाहिए। सभी आपराधिक प्रकरणों में सबूत का भार अभियोजन पर होता है, हालांकि कुछ विशेष परिस्थितियों में यह अभियुक्त पर स्थानांतरित हो सकता है। इसलिए, साक्ष्यों का मूल्यांकन यह पता लगाने के लिए किया जाना चाहिए कि अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत बचाव संभावित और सत्य है या नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लक्ष्मी नारायण अग्रवाल जो मध्यस्थ थे और जिनके माध्यम से विवाह तय हुआ था, तथा मृतका के पिता, इन दोनों की अभियोजन द्वारा परीक्षा नहीं की गई है। मृतका के रिश्तेदारों द्वारा दिए गए अत्यधिक अतिरंजित और सुधारित कथन अविश्वसनीय प्रतीत होते हैं और इस न्यायालय का विश्वास अर्जित नहीं करते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आरती अग्रवाल (अ.सा.-6)- जो मृतका की बहन है और अभियुक्तगण के घर में 15-20 दिनों तक रही थी, उसने भी उक्त अवधि के दौरान अभियुक्तगण द्वारा दहेज की मांग या उत्पीड़न के संबंध में कुछ भी नहीं कहा है। इसके अतिरिक्त, सभी महत्वपूर्ण साक्षियों ने यह स्वीकार किया है कि विवाह के समय कोई दहेज तय नहीं किया गया था।

12. वर्तमान मामले में, अभियोजन पक्ष का मामला न केवल रिश्तेदारों के सुधारित कथनों के कारण, बल्कि स्वतंत्र साक्षी प्रकाश अग्रवाल (अ.सा.-13) के कथन के कारण भी संदिग्ध है। अतः, पूर्वोक्त तथ्यात्मक एवं विधिक चर्चा तथा अपीलार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा उद्धृत सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णयों के आलोक में, इस न्यायालय का यह सुविचारित मत है कि अभियोजन पक्ष अपना मामला संदेह से परे सिद्ध करने में विफल रहा है और ऐसा होने के कारण अपीलार्थी संदेह के लाभ के हकदार हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. तदनुसार, अपील स्वीकार की जाती है। आक्षेपित निर्णय इसके द्वारा अपास्त किया जाता है। अभियुक्त/अपीलार्थी उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त किए जाते हैं। अभियुक्त/अपीलार्थी सिद्ध गोपाल नरेड़ी, विक्की उर्फ आशीष और श्रीमती राजकुमारी नरेड़ी पहले से ही जमानत पर हैं और उनके जमानत बंधपत्र उन्मोचित किए जाते हैं। अभियुक्त/अपीलार्थी सोनू उर्फ आतिश वर्तमान में जेल में है। यदि किसी अन्य मामले में उसकी आवश्यकता न हो, तो उसे तत्काल मुक्त किया जाए।

**हस्ताक्षर/-**

**प्रीतिंकर दिवाकर**

**न्यायमूर्ति**

**स्वीकरणः** हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By Adv Neeta Verma